प्रेस विज्ञप्ति

28.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोनसन मावुंकल और अन्य की अपराध से अर्जित आय के रूप में 1.88 करोड़ रुपए (लगभग) कीमत की चल और अचल संपत्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की गई हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में मोनसन मावुंकल, श्रीमती मोनसी मावुंकल, सुश्री मिमिशा मोनसन और मानस मोनसन से संबंधित एक आवासीय परिसर, 10 केएसएफई सावधि जमा/सुगम शामिल हैं।

ईडी ने धोखेबाज एंटीक डीलर, मोनसन मावुंकल और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत केरल पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मोनसन मावुंकल ने एंटिक वस्तुओं और कलाकृतियों के संग्रहकर्ता होने की आड़ में विभिन्न व्यक्तियों को धोखा दिया है, जबकि उनके द्वारा दावा किए गए अनुसार उन वस्तुओं के कोई एंटिक मूल्य नहीं थे। उन्होंने लोगों को यह भी विश्वास दिलाया कि कलाकृतियों की बिक्री से अर्जित आय के रूप में उनके बैंक खाते में बड़ी मात्रा में पैसा जमा है, लेकिन फेमा प्रावधानों के अनुसार उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। इस उद्देश्य के लिए उसने एक जाली बैंक विवरण तैयार किया था। उपरोक्त झूठे अभ्यावेदनों के आधार पर, उसने शिकायतकर्ताओं से धन एकत्र किया।

इस मामले में, पीएमएलए, 2002 के तहत जांच से पता चला कि मोनसन मावुंकल, श्रीमती मोनसी मावुंकल, सुश्री मिमिशा मोनसन और मानस मोनसन ने अनुसूचित अपराध और अनुसूचित अपराध से संबंधित अन्य अपराधों को अंजाम देकर, 1.88 करोड़ रुपए (लगभग) कीमत की चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय अर्जित की थी, जिसे अब ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।